



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई, 2024 (आषाढ 13, शक संवत् 1946)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री विराग सागर महाराज जी महामुनिराज की महासमाधि के संबंध में सदन की ओर से शोकोद्धार व्यक्त किये गए .

सदन द्वारा दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

2. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 109 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 120 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. शासकीय वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने सड़क संधारण व्यवस्था संबंधी "लोक पथ" एप लॉच करने संबंधी वक्तव्य दिया.

4. विशेष उल्लेख.

श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने मंत्री के रूप में अपना वेतन विकास कार्य हेतु समर्पण करने संबंधी उल्लेख किया.

5. नियम 267-क के अधीन विषय.

अध्यक्ष महोदय, द्वारा की गई घोषणानुसार :-

- (1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी तहसील के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरागांव में वाणिज्य संकाय प्रारंभ कराये जाने.
- (2) डॉ. चिन्तामणि मालवीय, सदस्य की प्रदेश की सुदूर सड़क योजना का कार्य बंद होने,
- (3) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य की जिला दतिया में स्टाप डेम बनाकर नदी-नालों को पुनः जीवित किये जाने,
- (4) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत सीलौन गांव में स्थित पुलिस चौकी को झमटुली गांव में स्थानांतरित न किये जाने,
- (5) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य की शिवपुरी जिले में स्कूलों में पेयजल हेतु पानी की व्यवस्था न होने,
- (6) श्रीमती रीति पाठक, सदस्य की सीधी जिले अंतर्गत सोन नदी के किनारे फेंसिंग कार्य किये जाने,
- (7) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की पश्चिम मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों से आदिवासियों के पलायन को रोकने हेतु नीति न बनाई जाने,
- (8) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले की ग्राम पंचायत बूसौल में गोदाम का निर्माण कराकर खाद्यान्न का वितरण कराये जाने,
- (9) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की केसरवानी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने तथा
- (10) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र महिदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता होने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था. विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा विशेषाधिकार भंग का एक मामला मेरे ध्यान में लाया गया, तत्संबंधी दो सूचनाएं मुझे कल प्राप्त हुई हैं मैं इनका परीक्षण कर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करूंगा.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि इस संबंध में दो ही काम हो सकते हैं या तो चर्चा करा लें या समिति को सौंप दे.

अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष महोदय को पुनः सूचित किया कि इस पर अभी विचार और परीक्षण करने दीजिए.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

- (1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने
 - (क) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तथा
 - (ख) भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे.
- (2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने
 - (क) मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 तथा
 - (ख) मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.
- (3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने
 - (क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,
 - (ख) शहपुरा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,
 - (ग) बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 तथा
 - (घ) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का एकविंशति: (इक्कीसवां) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे.
- (4) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने
 - (क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 66 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,
 - (ख) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,
 - (ग) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 तथा
 - (घ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे.
- (5)(मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का 65 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.
- (6)(मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्य मंत्री, संस्कृति ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.
- (7)(मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन ने मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखा.

8. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमशः)

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने पुनः आसंदी का ध्यान“मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 165 की ओर ध्यानाकर्षित किया कि- “जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे, वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो.... इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें आसंदी को व्यवस्था देना है क्योंकि यह तात्कालिक मुद्दा है. तो इसमें हम यह चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो जाये या आप जो व्यवस्था चाहें, वह

आप दें. अब दो सदस्यों ने पूरे दल की तरफ से यह विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है. इस पर तत्काल आसंदी की व्यवस्था आना चाहिए.”

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आसंदी से अनुरोध किया कि यह विधान सभा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत चलेगी. आसंदी की व्यवस्था के ऊपर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः व्यवस्था दी गई कि-“आज बजट पर चर्चा शुरू होना है नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा आप से अनुरोध है कि आपने विषय को उठाया, मैंने उस पर व्यवस्था दे दी कि मुझे सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं, मैं उन पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही करूंगा. अध्यक्ष की व्यवस्था पर पाइंट ऑफ आर्डर उठाने का प्रावधान नहीं होता है. मैंने व्यवस्था दे दी है अब इस व्यवस्था पर कोई व्यवस्था प्रश्न नहीं होगा, अब ध्यानाकर्षण लिए जाएंगे आप बजट पर चर्चा कर सकते हैं बजट पर बोलने का सबको अवसर मिलेगा यह विषय अब खत्म हुआ.”

9. ध्यानाकर्षण.

- (1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में संचालित यूनानी महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम को हिन्दी में न पढ़ाये जाने की ओर आयुष मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, श्री इन्दर सिंह परमार, आयुष मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.
- (2) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य ने प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, श्री नारायण सिंह कुशवाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया, सर्वश्री आतिफ आरिफ अकील, लखन घनघोरिया सदस्यगण एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया.

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-122 जुन्नारदेव (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री सुनील उईके एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-128 पांडुर्णा (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री निलेश उईके को विधान सभा के जुलाई, 2024 सत्र में दिनांक 1 जुलाई से 13 जुलाई, 2024 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

11. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति.

इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक -5	डॉ. सीतासरन शर्मा	35 मिनट
2.	क्रमांक -19	श्री संजय सत्येन्द्र पाठक	35 मिनट
3.	क्रमांक-4	डॉ. अभिलाष पाण्डेय	35 मिनट

इंजी. प्रदीप लारिया ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 3 जुलाई, 2024 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2014-15 के आधिक्य व्यय की अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरः स्थापन, विचार एवं पारण तथा वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किए जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	प्रस्तावित समय
1.	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024)	30 मिनट
3.	मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024)	30 मिनट
4.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024)	30 मिनट
5.	मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024)	30 मिनट
6.	वर्ष 2014-2015 के आधिक्य व्यय की अनुदानों की मांगों पर मतदान	20 मिनट

वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए आवंटित समय.

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या का विवरण	आवंटित समय
1.	डॉ.मोहन यादव, मुख्यमंत्री	001- सामान्य प्रशासन 002- विमानन 003- गृह 005- जेल 011-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन 021- लोक सेवा प्रबंधन 025- खनिज साधन 029- विधि और विधायी कार्य 032- जनसंपर्क 041- प्रवासी भारतीय 046 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 048- नर्मदा घाटी विकास 057- आनंद	1 घण्टा 30 मि.
2.	श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री	006- वित्त 007- वाणिज्यिक कर 031- योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	30 मि.
3.	श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री	019- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 052- चिकित्सा शिक्षा	1 घण्टा
4.	डॉ. कुंवर विजय शाह, मंत्री	033- जनजातीय कार्य 042- भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास 045- लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	1 घण्टा
5.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	022- नगरीय विकास एवं आवास 028- राज्य विधान मण्डल	30 मि.

6.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री	018- श्रम 030- ग्रामीण विकास 040- पंचायत	1 घण्टा
7.	श्री राकेश सिंह, मंत्री	024- लोक निर्माण कार्य	30 मि.
8.	श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री	008- भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	30 मि.
9.	श्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री	027- स्कूल शिक्षा 036- परिवहन	30 मि.
10.	श्रीमती संपतिया उइके, मंत्री	020- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	30 मि.
11.	श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री	023- जल संसाधन	30 मि.
12.	श्री एंदल सिंह कंधाना, मंत्री	013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30 मि.
13.	कुमारी निर्मला दिलीप सिंह भूरिया, मंत्री	055- महिला एवं बाल विकास	30 मि.
14.	श्री गोविन्द सिंह राजपूत, मंत्री	039- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	30 मि.
15.	श्री विश्वास सारंग, मंत्री	043- खेल और युवा कल्याण 017- सहकारिता	30 मि.
16.	श्री नारायण सिंह कुशवाह, मंत्री	034- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण 050- उद्यानिक तथा खाद्य प्रसंस्करण	1 घण्टा
17.	श्री नागर सिंह चौहान, मंत्री	004- पर्यावरण 010- वन 049- अनुसूचित जाति कल्याण	30 मि.
18.	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री	012- ऊर्जा	30 मि.
19.	श्री राकेश शुक्ला, मंत्री	009- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	30 मि.
20.	श्री चेतन्य काश्यप, मंत्री	035- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	30 मि.
21.	श्री इन्दर सिंह परमार, मंत्री	044- उच्च शिक्षा 038- आयुष 047- तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	1 घण्टा
22.	श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	015- घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति 053- अल्प संख्यक कल्याण 054- पिछड़ा वर्ग कल्याण	1 घण्टा
23.	श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	026- संस्कृति 037- पर्यटन 051- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	30 मिनट
24.	श्री दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	056- कुटीर एवं ग्रामोद्योग	30 मिनट
25.	श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	014- पशुपालन एवं डेयरी	30 मिनट
26.	श्री नारायण सिंह पंवार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	016- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	1 घण्टा

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार -

- (1) दिनांक 4 एवं 5 जुलाई, 2024 की बैठक में भोजनावकाश न रखा जाए तथा सभा की बैठकें सायं 6 बजे तक रखी जाए.
- (2) वर्ष 2024-25 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा, तदुपरांत अनुदानों की मांगों पर चर्चा रखी जाए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं वित्तीय कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. बधाई एवं शुभकामनाएं.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कुमारी निर्मला भूरिया एवं श्री चन्द्र सिंह सिसौदिया, सदस्यगण के जन्म दिन पर उन्हें अपनी और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं.

14. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 6 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा तदनुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

- (1) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
- (2) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
- (3) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
- (4) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
- (5) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
- (6) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
- (7) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
- (8) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
- (9) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
- (10) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
- (11) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
- (12) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
- (13) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
- (14) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
- (15) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
- (16) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
- (17) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल)
- (18) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
- (19) श्री मधु भाऊ भगत (जिला-बालाघाट)
- (20) श्री देवेन्द्र नारायण सखवार (जिला-मुरैना)
- (21) श्री भैरोंसिंह बापू (जिला-आगर-मालवा)
- (22) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
- (23) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
- (24) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
- (25) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
- (26) श्री अरुण भीमावद (जिला-शाजापुर)
- (27) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
- (28) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
- (29) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
- (30) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
- (31) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
- (32) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)

- (33) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे (जिला- कटनी)
- (34) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला- धार)
- (35) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला- छतरपुर)
- (36) इंजी. ऋषि अग्रवाल (जिला- गुना)
- (37) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला- टीकमगढ़)
- (38) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला- खरगोन)
- (39) श्री राजेन्द्र भारती (जिला- दतिया)
- (40) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला- टीकमगढ़)
- (41) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला- सिवनी)
- (42) श्री अभय कुमार मिश्रा (जिला- रीवा)
- (43) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला- भोपाल)

15. अध्यक्षीय घोषणा.

भोजनावकाश न होना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि आज चूँकि सामान्य बजट पर चर्चा होगी इसलिए भोजनावकाश नहीं होगा माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है.

16. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने प्रस्ताव किया कि- "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-द के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2024-2025 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे) अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने प्रस्ताव किया कि-"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-द के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2024-2025 के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें आठ सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

19. निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई:-

- (1) नाम - निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं;
- (2) नाम - निर्देशन प्रपत्रों की जांच शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 को अपराह्न 4.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी;
- (3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 2024 को अपराह्न 4.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है;
- (4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा;
- (5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा. उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

20. शासकीय विधि विषयक कार्य.

- (1) श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (2) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (4) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री वाणिज्यिक कर ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

21. अध्यक्षीय घोषणा.

बजट पर सामान्य चर्चा में पहले भाग लेने वाले सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को विभागवार चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि- “आज की कार्य-सूची में बजट पर सामान्य चर्चा के पश्चात् कतिपय महत्वपूर्ण विभागों की मांगों को भी शामिल किया गया है। पहले बजट पर सामान्य चर्चा पूर्ण की जायेगी, जिसका जवाब माननीय उप-मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा दिया जायेगा, तदुपरांत विभागवार मांगों पर चर्चा प्रारंभ होगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों से अनुरोध है कि सामान्य चर्चा में पहले भाग लेने वाले सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को विभागवार चर्चा में भाग लेने का अवसर दें, तो चर्चा सार्थक होने के साथ अधिक-से-अधिक सदस्यों को सदन में अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।

मेरी अपेक्षा है कि दोनों दलों के नेतागण इस परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे.

22. अध्यक्षीय घोषणा.

ज्वलंत विषय के ध्यानाकर्षण पर पूर्व में की गई विस्तृत चर्चा को परंपरा या पूर्वोदाहरण न बनाया जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि- “विगत दिनों 2 जुलाई, 2024 को सदन ने जिस ध्यानाकर्षण पर चर्चा की गई, पर ध्यानाकर्षण पर चर्चा का समय काफी लम्बा था और चर्चा में भी रहा. लेकिन मैंने विशेष अनुमति देकर उस ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराई थी क्योंकि विषय ज्वलंत था और सब

चाहते थे कि उस पर चर्चा हो. लेकिन ध्यानाकर्षण सूचना पर इस प्रकार की चर्चा, आगे न तो उदाहरण के रूप में इस्तेमाल की जायेगी और न ही परम्परा बनेगी. यह ध्यान में रहना चाहिए.”

23. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2024 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(3) श्री सचिन सुभाष यादव

(4) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(5) श्री लखन घनघोरिया

(6) श्री गौरव सिंह पारधी

(7) श्री अभय कुमार मिश्रा

(8) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

(9) श्री फूलसिंह बरैया

(10) श्रीमती अर्चना चिटनीस

(11) डॉ. हिरालाल अलावा

(12) श्री कमलेश्वर डोडियार

(13) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू

(14) डॉ. रामकिशोर दोगने

(15) श्री दिलीप सिंह परिहार

सभापति महोदय (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं.

(16) श्री रजनीश हरवंश सिंह

(17) श्री तेजबहादुर सिंह चौहान

(18) श्री पंकज उपाध्याय

(19) डॉ. अभिलाष पाण्डेय

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

24. अध्यक्षीय घोषणा.

सदन के समय में वृद्धि विषयक.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि सदन के समय में एक घंटे की वृद्धि की घोषणा की गई.

25. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(20) श्री नारायण सिंह पट्टा

(21) श्री दिनेश गुर्जर

(22) श्री साहब सिंह ठाकुर

(23) श्री सुरेश राजे

(24) श्री अनिल जैन

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(25) श्री राजेन्द्र भारती

(26) श्री महेश परमार

(27) श्रीमती सेना महेश पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(28) श्री भैरोंसिंह बापू

(29) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर

26. अध्यक्षीय घोषणा.

सदन के समय में वृद्धि विषयक.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

27. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(30) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

(31) श्री दिनेश जैन “बोस”

(32) श्री सिद्धार्थ तिवारी

(33) श्री कैलाश कुशवाह

(34) कुँवर अभिजीत शाह

(35) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार

(36) श्री केशव देसाई

(37) श्री बाबू जण्डेल

(38) श्री नितेन्द्र वृजेन्द्र सिंह राठौर

(39) श्री चैन सिंह वरकडे

(40) श्री ओमकार सिंह मरकाम

(41) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे

(42) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार

(43) श्री उमंग सिंघार

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने चर्चा का उत्तर दिया

28. अध्यक्षीय घोषणा.

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए निर्विरोध निर्वाचन.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि श्री जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधानसभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए क्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन उम्मीदवार शेष है उक्त कृषि विश्वविद्यालय के लिए तीन सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं. अतः मैं निम्नानुसार सदस्यों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं.

(1) श्रीमती मनीषा सिंह

(2) डॉ अभिलाष पांडे

(3) श्री नारायण सिंह पट्टा

अपराह्न 10.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 (आषाढ 14 शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल :

दिनांक : 4 जुलाई, 2024

अवधेश प्रताप सिंह,

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा